64

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश ,

निग - 989 - II-16

1:- रमेश सिंह आ0 श्री दशरथ सिंह उम्र 63 वर्ष । पेशा व्यापार ।

2:- श्री मती रीना सिंह पत्नी श्री रमेश सिंह उम्र 59 वर्ष पेशा घरू कार्य ।

निवासी स्टार आटो मोबाइल्स मुख्त्यारगंज सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0 प्र0 --- निगराकार गण

बनाम

1:- सियादुलारी मिश्रा पत्नी स्व0 श्री रामरूप मिश्रा उम्र 72 वर्ष निवासी अहरी टोला खाद गोदाम के पीछे सिबिल लाइन सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0 प्र0,

2:- शासन म0 प्र0 द्वारा श्री मान, कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना म0 प्र0 ------ गैर निगराकार गण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 का0 मा0

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 14.5.08 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार प्रभारी वृत बरौधा तह0 मझगवां जिला सतना म0 प्र0 जरिये राजस्व प्र0 क्र0 22/अ12/07-08,

---

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है ।

1:- ~~यह~~ कि गैर निगराकार क्र0 1 में केवल गैर निगराकार क्र0 2 म0 प्र0

रीना सिंह

/2/

(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-989-दो/2016 — जिला सतना

रमेश विरूद्ध सियादुलारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील महगंवा के प्रकरण क्रमांक 22/ए-12/2007-08 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14-5-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	